THE DEPUTY CHAIRMAN: You put questions, not suggestions. It is not a discussion, it is a Question Hour. You ask him whether he is going to do or not.

SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: I would like to put a pointed question whether he will go for simplification of the procedures as regards the FERA. Secondly, he suggested that frequent sittings have been held outside the headquarters. I would like to know how many sittings have been held outside the headquarters. And, is there any move to set up Appellate Boards in various cities, at least in Bombay, Delhi, Calcutta and Madras?

SHRI H. R. BHARDWAJ: Madam, at the moment, the law prescribes only four Members including one Chairman. That is the statutory provision. Unless the law is amended, we cannot provide more than four Members on these Boards. So, the question of setting up permanent Boards or branches outside, out of these four, does not arise. It will require amendment and the suggestion of the hon. Member will be kept in mind. Now, considering the workload, it is not necessary to increase the number of memerbs. I think the purpose will be served if we make a small amendment and that is in our mind. We can empower a single member to hear appeals under the provision of clause 52(6). That would really expedite a few hundred or thousand cases because today, we have to make two members sit to decide matters above Rs. 50,000. That is under consideration. Once that procedure is simplified and that provision is made in the Foreign Exchange Regulation Act, I hope, a single member will be able to dispose of more cases.

*462. [*Transferred to 20th August, 1992*].

*463. [*The questioner (DR. SANJAYA SINGH) was absent. For answer, vide cols.* 35-36 infra].

*464. [*Transferred to 20th August,* 1992].

Per capita Central Assistance to States

*465. SHRI RAM GOPAL YADAV: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleaed to state:

(a) what is the amount of per capita Central assistance given to the States of Uttar Pradesh, Maharashtra, Punjab, Haryana, Karnataka, Tamil Nadu and West Bengal during the Seventh Five Year Plan;

(b) what are the reasons for disparity in such allocations; and

(c) whether the same is proposed to be removed in the Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The amounts of per capita (gross) Central Assistance based on 1971 Census population, allocated to the States of Uttar Pradesh, Maharashtra, Punjab, Haryana, Karnataka, Tamil Nadu and West Bengal under the modified Gadgil formula during the Seventh Five Year Plan 1985-90 are shown below:

States	Per Capita in Rupees
Uttar Pradesh	333
Maharashtra	232
Punjab	283
Haryana.	322
Karnataka	262
Tamil Radu	301
West Bengal	227

(b) The allocation of Central assistance made to each State was based on its respective share in the total allocation for the Seventh Plan under the modified Gadgil formula as approved by the National Development Council in August, 1980. The formula included the criteria of size of population (1971), backwardness indicated by per capita income, tax collection and special problems of the State. The disparities in allocations result due to the above criteria which except, tax effort, favour the backward States like Uttar Pradesh.

(c) On the basis of the suggestions made by the Chief Ministers of several States the National Development Council in its meeting held in December, 1991, revised the formula for the allocation of Central assistance to the States for Eighth Five Year Plan, 1992-97 as shown in the Statement I (See below) attached.

Statement-I

The formula as approved by NDC meeting held in December, 1991 for distribution of Central Assistance.

I. From the total Central assistance, setting apart the funds required for externally-aided-schemes, as is now done;

II. Providing from the balance, reasonable amounts for Special Area Programmes, viz.,

(a) Hill Areas;

(b) Tribal areas;

(c) Border areas; and

(d) N.E.C.;

III. Keeping from the balance 30 per cent for the ten Special Category States; and

IV. Allocating the balance among the fifteen non-Special Category States as per the following criteria;

Criteria	Weight (%)
I Population (1971)	60%
II Per capita income of which;	25%
(a) According to the 'deviation' method-covering only the States with per capita SDP below the national average	20%
(b) According to the 'distance' method—covering all the fifteen States	5%
III Performance of which	7·5%
(a) According to 'Tax effort', as defind in the previous Gadgil formula	2·5%
(b) According to Fiscal Management, as defined in the previous revised formula ; and	2.5%
(c) According to progress in respect of national objectives	2·5%
IV Special Problems	7·5%

NOTE: 1. Fiscal Management is assessed as the difference between States' own total plan resources estimated at the time of finalising annual plans and their actual performance, considering latest five years.

2. Under the criterion of the performance in respect of certain programmes of national priority the approved formula covers four objectives viz., (i) population control; (ii) elimination of illiteracy; (iii) on time completion of externally aided projects; and (iv) success in land reforms.

श्री राम गोपाल यादव : मैडम, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक जितने भी सेंट्रल असिस्टस के फार्मूले बनाए गए, हैं, उन सबके द्वारा विभिन्न

राज्यों में समानता कायम करने की कोशिश नहीं की गई, दिसम्बर, 1991 में जो एन०डी०सी० की मीटिंग में स्वीकृत फार्मूला है, वह भी डिस्पेरिटी कायम करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या दिसम्बर, 1991 में केन्द्रीय सहायता वितरण के लिए हुई बैठक में जो फार्मूला तैयार किया गया है उसमें राज्यों के क्षेत्रफल को भी मानदंड के रूप में इन्क्लड करने का प्रयास किया जाएगा ;

श्री सुखराम : मैडम, यह कहना तो ठीक नहीं है कि योजना आयोग से जो धन का बंटवारा होता है, वह कोई राज्यों के हित के लिए नहीं है और खासकर जो पिछड़े हुए राज्य हैं, पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में तो स्कीमों के आधार पर जो एलोकेशन था, वह होता था, मगर चौथी और पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में गाडगिल फार्मूला हावी किया गया और उसके तहत वेटेज उन स्टेटों को दिया गया जो पिछड़ी हुई स्टेटें थी और छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि एन०डी०सी० में तो सारे मुख्य मंत्री मैम्बर होते हैं, उन्होंने फिर इस बात पर एतराज किया कि उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। फिर छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में रिवाइज्ड गाडगिल फार्मूला एप्लाई किया गया उसमें भी वेटेज जो है वे बैकवर्ड स्टेट्स को दिया गया है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसमें अगर उन्होंने देखा होगा कि पर केपिटा जो असिस्टेंस है केंद्र की तरफ से, योजना आयोग की तरफ से, जिन स्टेटों का उन्होंने प्रश्न किया है, उनमें से अगर देखेंगे तो यू०पी० को सबसे ज्यादा है क्योंकि यू०पी० पिछड़ा हुआ स्टेट है और अब जो आपका यह पूछना है कि अब इसमें और सुधार होगा, और भी सुधार किया गया है। 92.5 प्रतिशत वेटेज न स्टेटों को दिया गया है जो पिछड़े हुए स्टेट्स हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, बल्कि सभी एन०डी०सी० ने जो स्वीकृत फार्मूला किया है, उसके आधार पर धन का आबंटन हो रहा है और इसी आठवीं पंचवर्षीय योजना में जब तक फार्मूला चेंज नहीं होता तब तक उसके आधार पर धन का आवंटन होगा और उसमें सबसे ज्यादा जो पिछड़े हुए स्टेट्स हैं वे लाभान्वित होंगे।

श्री राम गोपाल यादव : मैडम, मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक क्वश्चिन था, सब जानते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स का एरिया इतना ज्यादा है कि रोडस जैसे मामले में भी अगर सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है तो सारी राशि व्यय हो सकती है केवल सड़कों के निर्माण पर हीं, लिंक रोड्ज से लेकर नेशनल हाइवे को इंप्रूव करने पर। इसलिए जो पिछड़े हुए राज्य हैं इनके लिए क्षेत्रफल का इंक्लूड किया जाना बहुत आवश्यक था। जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि न केवल सेंट्रल असिस्टेंस में बल्कि प्लान एलोकेशन तक में भी मनमाने तरीके से काम किया जाता है और कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के लिए पहले एनुअल प्लान के लिए 2600 करोड़ का एलोकेशन रखा गया था। जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की तरफ से यहां बहुत ज्यादा विरोध हुआ तब वह 3600 करोड़ के आसपास किया गया। यह होता चला आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फार्मूले के नाम पर जो चीफ मिनिस्टर यहां आते हैं, किन्हीं वजहों से एन०डी०सी० में उनको यैस कहना पड़ता है लेकिन एरिया का जब तक इन्क्लूजन नहीं होगा, तब तक इन क्षेत्रों का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। टैक्निकली तमाम बातें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इन स्टेट्स के खिलाफ चला जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों के बीच जो डिस्पैरिटी हुई है उसको दूर करने की क्या योजना आपकी है ?

श्री सुखराम : माननीय सदस्य का यह कहना है कि क्षेत्रफल के आधार पर आवंटन किया जाए। अब इस आधार को रखेंगे तो मध्य प्रदेश का हिस्सा सबसे ज्यादा हो जाएगा। मगर मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिवाइज्ड फार्मूला अब हमने किया है एन०डी०सी० में उसमें 60 फीसदी राज्यों को आबादी के आधार पर है जिसमें यू० पी० सबसे ज्यादा है आबादी के हिसाब से

तो यू०पी० को ज्यादा जाता है । तो 60 फीसदी तो आबादी के हिसाब से है ...(व्यवधान)

उपसभापति : जरा बोलने दीजिए उनको डिस्टर्ब होता है ।

श्री सुखराम : उसमें यू०पी० को ज्यादा जाता है । पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 25 प्रतिशत है । इसमें भी 20 प्रतिशत उन राज्यों के लिए है जिनका पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से नीचे है उसमें भी यू०पी० को जाता है । इसलिए 20 प्रतिशत वह जाता है और 5 प्रतिशत वह है जो कि सबसे ज्यादा समृद्धिशाली स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है । उससे जब हम कम्पेयर करते है, उससे कम पर कैपिटा आमदनी वाला जो है उसमें यू०पी० मध्य प्रदेश वगैरह शामिल हैं और परफार्मेंस के हिसाब से हम सात प्रतिशत देते है जिसमें टैक्स कलेक्शन के लिए ये इसेंटिव सब स्टेट्स के लिए ढाई प्रतिशत है । उसमें 15 जो नान स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, उसमें जो टैक्स एफर्ट्स ज्यादा करेंगे, उनको मिलता है और 2.5 प्रतिशत फिस्कल मैनेजमेंट के लिए है ।

एनुवल प्लान जब डिस्कस होता है, राज्य अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जो कमिट करते हैं उसी के ऊपर वह साबित होता है नैक्स्ट पांच सालों में तो ढाई प्रतिशत उनको मिलता है । उसमें यू.पी. पीछे रह जाता है मुझे डिटेल नहीं मालूम पता करना पड़ेगा । नेशनल आब्जैक्टिव का हमने और रखा है और वह 2.5 प्रतिशत रखा है जिसमें पापुलेशन कंट्रोल एलिमिनेशन आॅफ इललिट्रेसी आॅन टाइम कम्प्लीशन आॅफ एक्सटर्नली ऐडेड प्रोजेक्ट्स सक्सस इन लैंड रिफार्म शामिल हैं और साढ़े 7 प्रतिशत जो है वह जो दूसरे प्राब्लम्स हैं स्टेट्स में उनके लिए है । अब माननीय सदस्य चाहे मध्य प्रदेश से हों, चाहे बिहार से हों, चाहे पिछड़े हुए स्टेट्स से हों उनको मैं बताना चाहता हूं कि साढ़े 92 प्रतिशत तो उन स्टेटों को है जिनकी कोई डिस्क्रैश प्लानिंग कमीशन को नहीं है और वेटेज उन स्टेटों को है जो कि पिछड़े हुए स्टेट्स हैं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभापति जी, ये जो राम गोपाल यादव जी ने प्रश्न किया है हालांकि इन्होंने 7-8 राज्यों का उसमें जिक्र किया है और जिन राज्यों का उसमें जिक्र किया है, उनमें अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्य जो हैं वे देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा विकसित भी हैं और समृद्ध भी हैं । मैं इस प्रश्न को सामने रखते हुए चूंकि मंत्री महोदय ने इससे अलग जाकर अभी-अभी यह जवाब दिया कि मध्य प्रदेश और बिहार के भी जो लोग हैं वह बातें कहीं मैं उसको मददेनजर रखते हुए दो बातें जानना चाहूंगा । पहली बात तो यह जानना चाहूंगा कि स्वयं आपने अपने बयान में यह कहा है कि साईज आॅफ पापुलेशन, बैकवर्डनैस, पर कैपिटा इनकम, टैक्स कलेक्शन और स्पेशल प्राब्लम आॅफ दि स्टेट, इनको ऐलोकेशन में मद्देनजर रखा जाता है । तो इसमें देश के अंदर ऐसे कितने राज्य हैं जो इसके अंतर्गत सबसे अधिक बैकवर्ड हैं और पापुलेशन के हिसाब से भी गरीबी रेखा के नीचे हैं । दूसरी बात आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो भी सातवीं पंचवर्षीय योजना तक कमियां रही हैं, उनको दूर करने का विचार सरकार रखती है ?

श्री सुखराम : मैडम, सारे प्लान का जो उद्देश्य है, वह यह है कि देश में जो डिस्पैरिटी है, असमानता है उसको कम किया जाए और सभी राज्यों को जो खास तौर से पिछड़े राज्य हैं उनकी मदद की जाए ।

दूसरा उनका प्रश्न यह है कि कौन राज्य हैं । ऐसे 15 राज्य हैं जिनका कि हम आकलन नेशनल एवरेज जिन पर कैपिटा इनकम और राज्य की पर कैपिटा इनकम पर करते हैं । उसमें आंध्र प्रदेश हैं, बिहार है, केरल है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है, ये 7-8 राज्य बैकवर्ड माने जाते हैं ।

श्री शिव चरण सिह : माननीय मंत्री जी आपने यह बताया कि स्पेशल प्राब्लम जो स्टेट्स हैं उनको हम स्पेशल ऐलोकेशन करते हैं । राजस्थान में 800 किलोमीटर का बार्डर है और जहां 10 साल में 8 साल अकाल पड़ता है, उसको आपने क्या विशष महत्व दिया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में आप कितना अधिक धन उसको एलॉट करने जा रहे हैं ।

श्री सुखराम : राजस्थान के लिए 275 करोड़ रुपया ये ड्राउट प्रोन डेजर्ट एरिया और गैप इन स्टेट ओन्ड रिसोर्सेज, ये जो प्लान ऐलोकेशन हुआ है, उसके अलावा जो स्पेशल प्राब्लम्स हैं, उनके लिए दिया गया है ।

श्री शिव चरण सिह : 275 करोड़ तो प्लान में दिया गया है । स्पेशल असिस्टट बार्डर स्टेट और डेजर्ट अफेक्टेड स्टेट होने के नाते क्या दिया है यह बताइए । सीमावर्ती प्रांत और अकालग्रस्त प्रांत होने के नाते आपने क्या विशेष सहायता दी है ?

श्री सुखराम : कहां का पूछ रहे

उपसभापति : राजस्थान का पूछ रहे हैं।

श्री सुख राम : मैंने बोल दिया 275 करोड़ रुपया मिला है ।

श्री शिव चरण सिह : मुझे बाद में बता दें । बार्डर का स्टेट होने के कारण और अकाल से पीडित होने के कारण क्या दिया है ? यही एक प्रांत है जिसका सबसे बड़ा बार्डर है और सबसे ज्यादा अकाल यहां पड़ते हैं । उसको क्या विशेष महत्व देंगे, यह बताइए । भारतवर्ष में उसके मुकाबले का कोई और प्रांत नहीं है । और प्रांतों में इतने अकाल नहीं पड़ते और न ही और प्रांतों में इतना बड़ा बार्डर है । इन दोनों फक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, क्या आप विशेष सहायता देंगे ? कृपया यह बताईये ।

श्री सुख राम : माननीय सदस्य, शायद मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करते या मैं समझा नहीं सका । राजस्थान को सातवीं पंचवर्षीय योजना में बाकी राज्यों के अपेक्षा उसमें एक राज्य और हो सकता है । सबसे ज्यादा अगर स्पेशल प्रोब्लम के लिए धन आबटन हुआ है तो वह राज्य राजस्थान है ।

श्री शिवचरण सिह : हमारी एफिसिएसी टैक्स कलक्शन, बैटर एडमिनिस्ट्रेशन. . . **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot ask so many supplementaries.

श्री अजीत जोगी : उपसभापति महोदया, जिस प्रकार से राज्यों को केन्द्रीय सहायता आज तक दी गई है उससे यह बात बिलकुल प्रमाणित है और सिद्ध है कि क्षेत्रीय असंतुलन जो पूरे राष्ट्र में है, उसे हम दूर नहीं कर पाए हैं । जो राज्य आजादी के समय पिछड़े हुए थ, वह आज भी पिछड़े हुए हैं । इसलिए यह भी स्पष्ट है कि जो केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता देने का फार्मूला बनाया गया, पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में तो कोई फार्मूला था ही नहीं । जो विकसित राज्य थे, वे अधिक पैसा ले गए । उसके बाद जो गाडगिल फार्मूला बना और फिर से रिवाइज्ड गाडगिल फार्मूला बना वह भी क्षेत्रीय असतुलन को दूर करने में असफल रहा है । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि गाडगिल फार्मुला, फिर रिवाइज्ड गाडगिल फार्मूला, उसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, जिससे जो क्षेत्रीय असतुलन बढ़ता जा रहा है, जो राष्ट्र की एकता और अक्षुण्णता के लिए भी घातक सिद्ध होगा, उसे दूर किया जा सके और जो मौलिक प्रश्न प्रश्नकर्ता ने पूछा था, क्या राज्यों के क्षेत्रफल को देखते हुए, उनको सहायता दी जाएगी ? आज छोटे राज्य को उतनी सहायता मिल जाती है जितनी बड़े राज्य को मिलती है। बड़े राज्य में क्षेत्र ज्यादा रहता है, विकास के काम कम हो पाते हैं । तो क्या इस रिवाइज्ड गाडगिल फार्मूला को फिर रिवाइज किया जाएगा और मध्य

प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े इलाकों को और अधिक सहायता दी जाएगी, इस पर मंत्री महोदय, अपना जवाब दें ?

श्री सुख राम : मैडम, अभी तो जो गाडगिल फार्मूला, उसके बाद रिवाइज्ड गाडगिल फार्मूला और उसके बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, तो कंसेंशस फार्मूला और उसके बाद फिर रिवाइज्ड फार्मूला। तो जो अब एन०डी०सी० . . . **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : रि-रिवाइज्ड फार्मूला :

श्री सुख राम : एन०डी० सी० ने दिसम्बर, 91 को यह फार्मूला बनाया है, तय किया है। उसमें सभी मुख्य मंत्री होते हैं। तो अभी तो उसको परिवर्तन का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, जब तक कि एन०डी०सी० में फिर मुख्य मंत्री इस बात को उठाएंगे, वह सुझाव देंगे, क्या सुझाव देते हैं ? जो पिछड़े हुए प्रांत हैं, क्षेत्रफल में भी बड़े हैं, उन सभी को मदद देना चाहते हैं, ताकि जो असमानता है व दूर हो जाए। मगर जो सीमित स्थिति है उसी में से आपको धन बांटना है।

श्री रजनी रंजन साहू : उपसभापति महोदया, अष्ठम पंचवर्षीय योजना दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे देश के लिए होने जा रहा है और इसमें पर-केपिटा एसिस्टेंट की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माननीय सदस्य श्री जोगी जी ने कहा कि जो पिछड़ा था, वह आज और पिछड़ा होता जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। पहले जो अगला था, वह भी पिछड़ा होता जा रहा है। बिहार का जो पांचवां स्थान था, आज नीचे से पांचवां स्थान हो गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, उस पर उनकी सहमति चाहूंगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों के लिए जो गाडगिल फार्मूला और रिवाइज्ड गाडगिल फार्मूला और फिर रिवाइज्ड फार्मूला, जिसका दायित्व वह सिर्फ मुख्य मंत्रियों पर रखते हैं। हम लोग भी, कहा जाता है कि कौंसिल आफ स्टेटस में राज्यों का प्रतिनिधि यहां करते है, तो क्या हम लोगों का सुझाव वह भी उसको मद्दे नजर रखते हुए इस बात के लिए अपना आश्वासन देंगे कि गाडगिल फार्मूला इतने दिनों में भी राज्यों को विकसित नहीं कर सका, इसलिए उसे स्क्रेप कर दिया जाए। पूरा-पूरा स्क्रेप करके राज्यों को दो हिस्सों में केटेगरी में बांट देना चाहिए--एक डवलप्ड स्टेट और दूसरा अनडवलप्ड स्टेट में।

क्या यह अंडर डवलप्ड स्टेट्स को इस केटेगरी में रखते हुए उसके लिए फाइनेन्शियल असिस्टेंस बढ़ाने और सेन्ट्रल असिस्टेंस देते के लिए अलग से कोई योजना बनायेंगे जैसा कि हमारे माननीय सदस्य जोगी जी ने कहा कि राज्यों में असंतुलन होने से आर्थिक असंतुलन होने से ये सब तरह की दिक्कतें होती हैं। गरीबी की वजह से, आपस में अशांति के कारण यह होता है। इसके लिए क्या मंत्री महोदय आश्वस्त करेंगे कि इस गाडगिल फार्मूले को स्कैप करके नया फार्मूला . . .

उपसभापति : थोड़ा संक्षेप करिये तो ज्यादा बेहतर है।

श्री अजीत जोगी : गाडगिल फार्मूले की जगह साहू फार्मूला बना दीजिए या कोई भी बना दीजिए।

श्री रजनी रंजन साहू : आपने देखा कि गाडगिल फार्मूले से काम नहीं चल रहा है। हमेशा रिवाइज करना पड़ रहा है। इसे स्कैप करके केटेगरी बनाकर राज्यों में बांटेंगे ?

एक माननीय सदस्य : बिहार में तो केन्द्रीय फार्मूला चलता है।

श्री सुख राम : मैडम, वैसे भी गाडगिल फार्मूला है ही नहीं, आप को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब तो न रिवाइज्ड फार्मूला है, न गाडगिल फार्मूला है, न री-रिवाइज्ड फार्मूला है। मैं सिर्फ माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं और वैसे

भीं वह जानते हैं कि महज जो सेन्ट्रल असिस्टेंस है, सारा एनुअलप्लान एलोकेशन है, प्लान का जो रुपया उपलब्ध है किसी स्टेट के लिए उसमें किसी स्टेट को 30 परसेंट, किसी को 35 परसेंट, किसी को 40 परसेंट तो किसी को 45 परसेंट, वह फार्मूले के मुताबिक है । महज पिछड़ापन इस बात पर निर्भर नहीं है कि सेन्ट्रल से कितना रुपया आपको जाता है । वह भी एक फेक्टर है । मगर स्टेट के अपने रिसोर्सेज कितने है, अपने साधन कितने हैं, उन साधनों का इस्तेमाल कितनी तेजी से, कितनी जल्दी किया जाता है, ये सारे फेक्टर मिल करके इसी बात को साबित करते है कि स्टेट समृद्धि की तरफ जाए । इस वास्ते मैंने बार-बार कहा है कि अभी दिसम्बर, 91 में ही इस फार्मूले को जिसे एन.डी.सी. ने स्वीकृति दी है उसमें आपके विचार, पालियामेंट तो सुप्रीम है, एन.डी.सी. से बड़ी है, वहां पर एन.डी.सी. के सामने रखेंगे । वह अगर चाहेंगे कि इसको फिर बदलना है तो बदल देंगे ।

श्री राधाकिशन मालवीय : उपसभापति महोदया, बड़ी विस्तृत जानकारी हमें माननीय मंत्री जी ने दी । . . .

उपसभापति : अब सवाल की गुंजाइश तो नहीं रही ।

श्री राधाकिशन मालवीय : इन्होंने जो जवाब दिया मुझे तो समझ में नहीं आया अभी तक । सच पूछा जाए तो हमारे माननीय सदस्यों को भी नहीं आया होगा । सदस्यों की मांग है कि गाडगिल फार्मूले को रिवाइज किया जाए । मेरा प्रश्न यह है कि हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की जो राज्य सरकारें हैं, जो पिछड़े हुए स्टेटस हैं उनको हम केन्द्रीय सहायता देते हैं और इस आधार पर देते हैं कि स्टेट्स कितनी पिछड़ी हैं उस हिसाब से हम देते हैं। मेरा यहां पूछने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य है। उसमें एक बस्तर जिला है वह केरल राज्य से भी बड़ा है। हरियाणा राज्य से भी बड़ा है। इतना ही नहीं जो नार्थ-ईस्ट स्टेट्स हैं 6 या 7, त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल है, नागालैंड है आदि, इनसे भी बड़ा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में दो-तिहाई हरिजन और आदिवासी लोग वहां रहते हैं। काफी पिछड़ा हुआ वह प्रदेश है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या गाड़गिल फार्मूले को रिवाइज करके मध्य प्रदेश को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी।

उपसभापति : यह अभी कहा उन्होंने। मैंने कई दफा सुना है। इन्होंने कहा कि गाडगिल फार्मूला रि-विाइज हो गया।

श्री राधाकिशन मालवीय : मेरा कहना यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कितनी केन्द्रीय सहायता आप प्रदान करेंगे ?

श्री **सुख राम** : यह जो पूछा कि मध्य प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति कितनी प्लान असिस्टेंस होगी तो यह ब्यौरा अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मगर जैसा आपने भी कहा और मैंने भी कई दफा कहा कि अब न तो गाडगिल फार्मूला है, न रिवाइज्ड गाडगिल फार्मूला है और न ही कांसेंसस फार्मूला है। अब तो लेटेस्ट रिवाइज्ड फार्मूला है जिसमें मैंने कहा कि साढ़े 92 प्रतिशत वेटेज उन राज्यों को है, लेकिन आपने प्रश्न एरिया का उठाया है, अब यह तो इसमें नहीं है, मगर ये वे राज्य हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिलती है। मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है। मध्य प्रदेश को बाकी राज्यों की बनिस्बत ज्यादा मदद मिलती है।

श्री **राम नरेश यादव** : महोदया, इस पर आधे घंटे की बहस होनी चाहिए. . . (व्यवधान) ।

उपसभापति : यह कोई तरीका नहीं है। आप बैठ जाइये। यह सवाल इतना बड़ा है कि इस सवाल पर मंत्री जी क्वेश्चन आवर में जवाब कैसे दें।

श्री अजीत जोगी : इस पर चर्चा हो जाय।

उपसभापति : नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, चर्चा करेंगे डिसक्शन करेंगे प्लान के ऊपर, मगर इस सवाल पर इतना नहीं होगा।

हथकरघा उद्योग की स्थापित क्षमता

*466. **श्री वीरेन जे० शाह** :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में स्थापित हथकरघा उद्योग की क्षमता का कोई अनुमान लगाया गया है ; यदि हां तो इस क्षेत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि हथकरघा क्षेत्र अपनी पूरी उत्पादन क्षमतानुसार कपड़े का उत्पादन नहीं कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन न होने का कारण पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का उपलब्ध नहीं हो पाना है ; और

(घ) हथकरघा क्षेत्र को प्रति वर्ष उसकी आवश्यकता से कितनी कम मात्रा में सूत उपलब्ध कराया जाता है और क्या सरकार सूत-आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। उत्पादकता और मांग में विभिन्नता तथा हथकरघा क्षेत्र में विकेंद्रीकृत उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए अंतरिम तौर से यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4000 मिलियन मीटर से भी अधिक है।

(ख) कपड़े का उत्पादन भी इसकी क्षमता के लगभग ही है लेकिन उत्पादन मांग पर निर्भर करता है और इस लिए घटता-बढ़ता रहता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हथकरघा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 450 मिलियन किलोग्राम से भी अधिक हैंक यार्न उत्पादन में विभिन्नता के आधार पर उपलब्ध होता है तथा उत्पादन कपड़े की मांग पर निर्भर करता है।

*सभा में यह प्रश्न डा० जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा पूछा गया।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Madam, it is evident from the reply of the hon. Minister that the handloom sector stands on a very low priority because according to the statement, the Minister says that there is no shortage of the hank yarn and that the production is governed by the supply and the demand. Thus the Minister knows that there is an increase in the prices. I would like to give the figures; the hank yarn used to be sold at Rs. 63.8 per kg and and now the current price is Rs. 79.29 per kg. And this increase in price has been there because of the shortage of the hank yarn. So there is no dispute about the the fact that there is a shortage of the hank yarn in the country. But the purpose of my asking this question was to seek the help of the hon. Minister to avoid shortages which affect the interests of a number of handloom weavers. Madam, my point is that the shortage is on account of non-functioning and non-performig of the statutory obligation by the State-run National Textiles Corporation. There is a statutory obligation that they should have 50 per cent of their marketable output...

उपसभापति : आप बहुत संक्षेप में सवाल करें तो मेहरबानी होगी।